छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | द्वादश सत्र | अंक-02

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021</u>

(अग्रहायण 23, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. विधान सभा स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का संबोधन

मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य गठन के उपरांत विधान सभा की प्रथम बैठक आज से ठीक 21 वर्ष पूर्व 14 दिसम्बर, 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में अंतरिम व्यवस्थाओं के अंतर्गत सम्पन्न हुई थी ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के स्थापना दिवस के अवसर पर इस सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त माननीय सदस्यों एवं प्रदेश की जनता को मैं हृदय से बधाई देता हूं तथा आप सबने अपने बुद्धिकौशल एवं राज्य के प्रति समर्पण के भाव से छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह अविस्मरणीय रहेगा ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा ने अपनी 21 वर्ष की इस संसदीय यात्रा में सफलता और सम्मान के अनेक सोपानों को सृजित करते हुए अपनी एक अलग पहचान देश के विधान मण्डलों में स्थापित की है ।

10 जनवरी को लोकसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है । उस दिन लोकसभा का अवकाश रहता है ।

इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि आगामी वर्ष से विधान सभा सचिवालय में भी 14 दिसम्बर को अवकाश रखा जाएगा ।

मैं आप सबको इस अवसर पर पुन: बधाई देता हूं और आप सभी की ओर से छत्तीसगढ़ महतारी को यह विश्वास भी दिलाता हूं कि इस प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हम सब सदस्य और यह सदन इसकी सेवा निष्ठापूर्वक करेंगे ।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 44 तारांकित एवं 64 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भ-गृह में आये ।)

3. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि कृपया वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन की अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

(निलंबित सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 11.48 बजे स्थगित की जाकर 12.01 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

4. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- संसद की पुस्तकालय समिति के माननीय सभापति ने संसद के पुस्तकालय द्वारा प्रदायित विभिन्न सुविधाओं का उल्लेख करते हुए यह आग्रह किया है कि समस्त विधान मंडलों के माननीय सदस्यगण इसका अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं ।

तत्संबंध में विधान सभा के सभी माननीय सदस्य अपने दिल्ली प्रवास के दौरान आवश्यकतानुसार संसद के पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 88/सी.एस.ई.आर.सी./ 2020, दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-2020,

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक- एफ-6-42/2012/ 12, दिनांक 8 जून, 2021,

(4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-
(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 30 जून, 2021
(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 2 सितम्बर, 2021 तथा
(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 22 सितम्बर, 2021,
तथा

(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर के अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21,

पटल पर रखे।

6. फरवरी-मार्च एवं जुलाई 2021 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च, 2021 सत्र के शेष रहे अपूर्ण उत्तरों एवं जुलाई, 2021 सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया ।

7. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

8. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के दिसम्बर, 2020 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर तथा जुलाई, 2021 सत्र में परित सभी 4 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

9.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा

(2) श्री धनेन्द्र साहू

(3) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

(4) श्री शिवरतन शर्मा

(5) श्री लखेश्वर बघेल

10. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

	वित्तीय कार्य	**समय**
	वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	03 घंटे
	शासकीय विधि विषयक कार्य	
1.	सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021.	30 मिनट
2	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021	15 मिनट
3	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021	15 मिनट

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. ध्यानाकर्षण सूचना

मानननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचनायें कल ली जावेंगी ।

12. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

मानननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 26, लोरमी से निर्वाचित सदस्य श्री धर्मजीत सिंह द्वारा दिसंबर, 2021 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 65, भिलाई नगर से निर्वाचित सदस्य श्री देवेन्द्र यादव द्वारा दिसंबर, 2021 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(3) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 03, बैकुंठपुर से निर्वाचित सदस्य श्रीमती अंबिका सिंहदेव द्वारा दिसंबर, 2021 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई ।)

13. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, लोक लेखा समिति ने समिति का छप्पनवां, सत्तावनवां, अट्ठावनावां, उनसठवां एवं साठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

14. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

मानननीय अध्यक्ष ने द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 की तिथि निर्धारित की ।

15. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अतंर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

16. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथमतल पर की गई है, कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

अपराह्न 12.10 बजे, विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 (अग्रहायण 24, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा